भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2199
जिसका उत्तर बुधवार, 12 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

आयातित दालों की लागत

2199. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जाने की संभावना है कि आयातित दालों की लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बराबर अथवा उससे अधिक रहे;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का दालों की घरेलू कीमतों के कम होने के मद्देनजर भारत में दलहन व्यापारियों को निर्यात राजसहायता प्रदान करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार तुअर और उड़द दाल के संबंध में अपनी खुली आयात नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): दालों के लिए आयात नीति और शुल्क अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा आयातित स्टॉक की लागत सहित घरेलू उत्पादन, उपलब्धता और मूल्य परिदृश्य की गहन और निरंतर निगरानी के आधार पर तैयार किया जाता है। समिति में उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग शामिल होते हैं। आयातों को खोलने या प्रतिबंधित करने तथा आयात शुल्क की दरों के संबंध में निर्णय घरेलू किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।

(ग) और (घ): दाल व्यापारियों को निर्यात सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च): घरेलू खपत की मांग को पूरा करने के लिए उपलब्धता बढ़ाने के लिए 31 मार्च, 2026 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत तूर एवम उड़द के आयात की अनुमति दी गई है।

*****